नुसूची सं0–562

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–ता0...से...तक

जिला :– राँची, Bihar State financial corporation बनाम मोगो गोड़ाईत एवं अन्य मौजा–खिजरी, नामकुम।

केस का प्रकार :– एस.ए.आर. अपील 10 आर0–15/2015–16

Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी, का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	Action Taken on order with Date
1	2	3

आदेश

3/10/2019

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं। अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजात का अवलोकन किया। Bihar State financial corporation, Ranchi Branch, koker Indistrail Area, Ranchi विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस.ए.आर. वाद सं0–244/1995–96 में दिनांक–07.10.1996 को पारित आदेश के विरूद्व अपील आवेदन दिया गया। यह वाद ग्रहण के विन्दु पर सुनवाई हेतु लंबी अवधि से लंबित चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है।

अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (डी0 में)
नामकुम	खिजरी	219	31	250	.86
			32	251	51
				252	2.39

आवेदन में संलग्न निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया। अतएव एक तरफा सुनवाई के उपरांत न्यायालय विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस.ए.आर. वाद सं0–244/1995–96 में

किया गया है। इस प्रकार मैं निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाता हूं।

यह भूमि आदिवासी खाता से संबंधित है। उक्त भूमि C.N.T Act. 1908 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा भी पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आवेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वो वादग्रस्त भूमि को अनुसूचित जनजाति की भूमि को सक्षम प्राधिकार के अनुमति से प्राप्त किया है।

अतः यह अपील आवेदन इसी स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3.10.19

अपर समाहर्त्ता
राँची।

3.10.19

अपर समाहर्त्ता
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.04.09 16:35:09 +05:30
Location: 192.168.0.8